**7/2021 संख्या-1/3/96-का-4-2021**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2021

विषय:- सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के सम्बंध में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2020, दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगायी गयी थी। सत्र 2020-21 के लिये यह व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96/का-4-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 में विहित प्राविधानों के अनुसार 15 जुलाई, 2021 तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे । इस हेतु इस शासनादेश के प्रस्तर-8 में अंकित तिथि 31 मई को 15 जुलाई पढ़ा जाये । यह स्थानान्तरण यथा सम्भव आनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली से किये जायेंगे ।

**राजेन्द्र कुमार तिवारी**
मुख्य सचिव

**7/2021संख्या-1/3/96-का-4-2021(1),तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश/निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उ0प्र0।
3- निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
**मुकुल सिंहल**
अपर मुख्य सचिव ।

**1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
**2-इस शासनादेश की प्रमाणिता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in